न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 08/2014

1. श्री रामचन्द्र वल्द् गजानन्द जाति ब्राहम्ण आयु 55 साल निवासी जालिया दोयम तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. बालूराम बालिग पुत्र श्री रामनाथजी कलावत निवासी आईसीआईसीबाई बैंक के पास, जालिया सैकण्ड तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0।
2. बालू बालिग पुत्र हीराजी
3. पांचु बालिग पुत्र हीराजी
4. लक्ष्मण बालिग पुत्र हीराजी
5. गोपाल बालिग पुत्र हीराजी
6. देवकरण बालिग पुत्र हीराजी
   क्रमांक 2 से 6 जाति गुर्जर निवासी बाडी दरवाजा, देवनारायण के चबुतरे के पास, जालिया दोयम तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजयनगर।

—— अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

:– आदेश :– दिनांक 01.06.2016

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित अराजी खसरा न0 2856 रकबा 00–11–00 तथा 2857 रकबा 01–14–10 उसकी खातेदारी की कृषि भूमियां है व इसके आस पास स्थित भूमियां उसके कब्जे एवं खातेदारी की है। जिनकी सीमा को लेकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के मध्य विवाद होता रहता है, जिसके सीमांकन हेतु अप्रार्थी संख्या 7 से निवेदन किया लेकिन सीमांकन नहीं हो सका है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट जमाबंदी एवं भू–राजस्व मानचित्रानुसार मौके पर पत्थरगढी करवाने की कृपा करावें।

अप्रार्थी सं0 1 से 6 बावजूद तामिली नोटिस दिनांक 17.03.2016 से अनुपस्थित रहे है इसलिए उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कार्यक्रम में ग्राम पंचायत मुख्यालय जालिया द्वितीय पर पेश हुई। प्रार्थी अपने अभिभाषक के साथ उपस्थित आया। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी मौजा जालिया द्वितीय स्थित प्रश्नगत अराजी खसरा न0 2856 एवं 2857 में खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः स्वीकार किया जाता है और तहसीलदार बिजयनगर पर आदेश पारित किये जाते हैं कि वे नियमानुसार शुल्क अदायगी पर प्रार्थी की अराजी खसरा न0 2856 व 2857 का जमाबंदी एवं नक्शे अनुसार मौके पर सीमांकन कर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 01.06.2016 को "न्याय आपके द्वार" कार्यक्रम मुकाम जालिया द्वितीय पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.20 16:54:38 IST
Reason: SelfAttested